न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
43 / 2023	27.03.2023	28.03.2023

/ / उनवान / /

1 राजकुमार
2 कृष्ण कुमार
3 धर्मसिंह
4 विरेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप जातियान अहीर निवासीयान मनेठी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:– वादीगण

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:– प्रतिवादी

दावा – अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थितिः– 1 श्री रणवीर यादव – वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक– 28.03..2023

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 363 / 0.42, 364 / 0.01, 365 / 0.12 है0 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। आराजी मुतनाजा हाल ख0नं0 363 साबिक ख0नं0 375 से एवं हाल ख0नं0 364, 365 साबिक ख0नं0 378 से व हाल ख0नं0 369 साबिक ख0नं0 297 से पैमूद हुए है। आराजी साबिक ख0नं0 375 व 378 सम्वत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी के खाता सं0 155 में पृथक से दर्ज रिकॉर्ड रहे है एवं तन्हा रामस्वरूप खातेदार दर्ज रिकॉर्ड रहा है एवं ख0नं0 297, 375 व 378 जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 के खाता सं0 139 में दर्ज रहे है और उक्त खाता के बनवारी व रामस्वरूप पुत्रान रामलाल संभाग के खातेदार काश्तकार अंकित राजस्व रिकॉर्ड रहे है लेकिन उसी दौरान बनवारी पुत्र रामलाल ने जरिये रिलीज ख0नं0 375, 378 में से अपना 1 / 2 भाग अपने भाई रामस्वरूप को रिलीज कर दिया जिसका इन्तकाल सं0 733 वादीगण के पिता के नाम दर्ज व मंजूर [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 में उक्त इन्तकाल का नोट भी अंकित किया गया [illegible] 2068–2071 की जमाबन्दी के खाता सं0 145 में इन्तकाल का अमल करते [illegible] सालिम रामसिंह पुत्र रामलाल के नाम अंकित कर दिया [illegible] 375 व 378 का पृथक से खाता कायम कर दिया गया था। [illegible] विभाग द्वारा सम्वत् 2071 आधार वर्ष की जमाबन्दी के आधार पर नई जमाबन्दी [illegible] करते समय इन्तकाल सं0 733 को नजरअंदाज करते हुए जमाबन्दी में साबिक ख0नं0 375 व 378 को साबिक ख0नं0 297 के साथ जोड़कर तीनों खसरा नम्बर को पुनः एक खाते में शामिल करते हुए बनवारी की फौतगी पर विरासत वारीसान के नाम साबिक ख0नं0 297 में दर्ज करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:19 IST
Reason: SelfAttested

बजाय संपूर्ण खाते में दर्ज कर दी गई जबकि ख0नं0 375, 378 हाल (363, 364, 365) में से बनवारी पुत्र रामलाल ने अपना हिस्सा 1/2 भाग सन् 2007 में जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड के वादीगण के पिता के पक्ष हस्तान्तरण कर दिया था इसलिए मृतक बनवारी की फौतगी पर विरासत उनके वारीसान के नाम केवल ख0नं0 हाल 369 में ही दर्ज होनी चाहिए थी। ख0नं0 हाल 363, 364, 365 में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं था। संपूर्ण खाते पर बनवारी की विरासत दर्ज करने से वादीगण के अधिकार प्रभावित हो गए व वादीगण की आराजी का रकबा घट गया है। आराजी मुतनाजा के हाल ख0नं0 363, 364, 365 में से बनवारी के हिस्से के वादीगण रिलीज गृहीता होने के कारण वादीगण का उक्त खसरा नम्बरान का सालिम हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत तरीके से 1/2 भाग बनवारी के वारीसान के नाम बिना किसी दस्तावेज के दर्ज कर दिया जो पूर्णरूप से लिपिकिए त्रुटि है एवं उक्त संशोधन की मोहताज है। वादीगण अपने हिस्से शुद्ध कराने के लिए वादपत्र पेश कर रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गलत अंकन को शुद्ध कराने के लिए आवेदन पेश करना लाजिम आया है आदि–आदि अंकित करते हुए वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर करार दिया जावे कि आराजी ख0नं0 363/0.42, 364/0.01, 365/0.12 है0 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर का वादीगण को संभाग में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर आदेशिका पर तहसीलदार मुण्डावर की अभिशंषा की शुद्धि की प्राप्त होकर शामिल है व वांछित शुद्धि किया जाना उचित है जवाब सरकार की आवश्यकता नहीं है अंकित करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किए।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी सम्वत् 2078 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2071 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 प्रदर्श–5, नकल इन्तकाल सं0 733 वाके ग्राम मनेठी प्रदर्श–6, रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 06.09.2022 प्रदर्श–7, रिपोर्ट हल्का पटवारी जालावास दिनांक 04.08.2022 प्रदर्श–8 एवं छायाप्रति रिलीज डीड दिनांक 13.06.2007 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 की छायाप्रति पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र राजकुमार पीडब्ल्यू–1, एवं यादराम पीडब्ल्यू–2 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि हाल ख0नं0 363 साबिक ख0नं0 375 से, हाल ख0नं0 364, 365 साबिक ख0नं0 378 से व हाल ख0नं0 369 साबिक ख0नं0 297 से होना अवगत कराते हुए। साबिक ख0नं0 375 व 378 सम्वत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी के खाता सं0 155 में पृथक से दर्ज रिकॉर्ड होना एवं तन्हा रामस्वरूप खातेदार दर्ज रिकॉर्ड रहा है एवं ख0नं0 297, 375 व 378 जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 के खाता सं0 139 में दर्ज रहे है और उक्त खाते के बनवारी व रामस्वरूप रामलाल संभाग के [illegible] काश्तकार अंकित राजस्व रिकॉर्ड रहे है लेकिन इसी दौरान बनवारी पुत्र रामलाल ने [illegible] रिलीज खसरा नम्बर 375, 378 में से अपना 1/2 भाग अपने भाई रामस्वरूप को [illegible] रजिस्टर्ड रिलीज डीड रिलीज कर दिया जाना अवगत कराते हुए उक्त रिलीज अनुसार ही इन्तकाल सं0 733 वादीगण के पिता के नाम दर्ज व मंजूर होना तथा जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में उक्त इन्तकाल का नोट भी अंकित किया जाना तथा सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी के खाता सं0 145 में उक्त इन्तकाल का अमल करते हुए खसरा नम्बर 375 व 378 सालिम रामस्वरूप पुत्र रामलाल के नाम अंकित किया जाकर उक्त दोनों ख0नं0 का पृथक से खाता कायम कर दिया गया था अवगत कराते हुए वर्तमान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अब सम्वत् 2071

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) कैंप

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:19 IST
Reason: SelfAttested

आधार वर्ष की जमाबन्दी के आधार पर नई जमाबन्दी तैयार करते समय इन्तकाल सं0 733 को नजरअंदाज करते हुए साबिक ख0नं0 375 व 378 को साबिक ख0नं0 297 के साथ जोड़कर तीनों खसरा नम्बरों को पुनः एक खाते में शामिल करते हुए बनवारी की फौतगी पर विरासत वारीसान के नाम साबिक खसरा नम्बर 297 में दर्ज करने के बजाय संपूर्ण खाते में दर्ज कर दी गई जबकि खसरा नम्बर 375, 378 जिसके हाल खसरा नम्बर 363, 364, 365 में से बनवारी पुत्र रामलाल ने अपना हिस्सा 1/2 भाग जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड वादीगण के पिता रामस्वरूप के पक्ष में हस्तान्तरण कर दिया गया था तो मृतक बनवारी की फौतगी पर विरासत बनवारी के वारीसान के नाम केवल खसरा नम्बर हाल 369 में ही दर्ज होनी चाहिए थी तथा हाल खसरा नम्बर 363, 364, 365 में उनका कोई हक व हिस्सा नहीं था जिस बाबत वादीगण ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी सम्वत् 2078 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2071 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–2067 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 प्रदर्श–5, नकल इन्तकाल सं0 733 वाके ग्राम मनेठी प्रदर्श–6, रिपोर्ट तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 06.09.2022 प्रदर्श–7, रिपोर्ट हल्का पटवारी जालावास दिनांक 04.08.2022 प्रदर्श–8 एवं छायाप्रति रिलीज डीड दिनांक 13.06.2007 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 की छायाप्रति एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र राजकुमार पीडब्ल्यू–1, एवं यादराम पीडब्ल्यू–2 पेश किए है जो शामिल पत्रावली है जिनमें प्रदर्श–2, 4,5,6 के अनुसार वादीगण ने अपने वादपत्र को पूर्णरूप से साबित कर दिया है तथा प्रदर्श–8 के अनुसार इन्तकाल सं0 733 हक त्याग का अमल सैटलमेंट विभाग द्वारा नहीं किया है के बाबत की रिपोर्ट से भी वादीगण का वाद स्पष्ट रूप से साबित है अभिकथन करते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के गहन अवलोकन उपरांत वादीगण के वाद को उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के हाल खसरा नम्बर 363/0.42, 364/0.01, 365/0.12 है0 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत बनवारी के वारीसान के नाम से हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल [illegible] किया [illegible] रहन की स्थिति में वादीगण के अलावा अन्य खातेदारान की ऋण राशि [illegible] अतिरिक्त उनकी अन्य आराजीयात से वसूलनिए रहेगी। [illegible]

यह निर्णय आज दिनांक **28.03.20[illegible]** [illegible] द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:19 IST
Reason: SelfAttested

28-03-20[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
43 / 2023	27.03.2023	28.03.2023

/ /उनवान/ /

1 राजकुमार
2 कृष्ण कुमार
3 धर्मसिंह
4 विरेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप जातियान अहीर निवासीयान मनेठी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:— वादीगण

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:— प्रतिवादी

दावा — अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रणवीरसिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.03.2023 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

हाल खसरा नम्बर 363 / 0.42, 364 / 0.01, 365 / 0.12 है0 वाके ग्राम मनेठी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है तथा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत बनवारी के वारीसान के नाम से हाल राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजीयात के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन की स्थिति में वादीगण के अलावा अन्य खातेदारान की ऋण राशि विवादित आराजीयात के [illegible] आराजीयात से वसूलनिए रहेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:41:19 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 28.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

28-03-2023

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0